केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

CBSE/Coord/IPS Practical module /2025-Exam **दिनांक:19.09.2025**

प्रधानाचार्य/केंद्र अधीक्षक
सीबीएसई द्वारा परीक्षा केंद्र के रूप में निर्धारित स्कूल
(सत्र 2024-25)
सभी केंद्रीय नोडल अधीक्षक
(सीबीएसई वेबसाइट के माध्यम से)

विषय: सत्र 2024-25 के लिए आईपीएस केंद्र अंतिम/स्पॉट मूल्यांकन से संबंधित पारिश्रमिक आदि के भुगतान हेतु एकीकृत भुगतान प्रणाली (आईपीएस) का शुभारंभ।

महोदया/महोदय,

सीबीएसई बोर्ड ने कक्षा X और कक्षा XII की मुख्य बोर्ड परीक्षाओं 2024-25 के लिए पारिश्रमिक और अन्य खर्चों से संबंधित भुगतानों को संसाधित करने हेतु निम्नलिखित एकीकृत भुगतान प्रणाली (आईपीएस) का शुभारंभ किया है:

(i) आईपीएस केंद्र अंतिम 2025
(ii) आईपीएस स्थल/स्पॉट मूल्यांकन 2025

सभी स्कूलों से अनुरोध है कि वे आईपीएस पोर्टल की जाँच करें और आवश्यक डेटा प्रविष्टि को यथाशीघ्र पूरा करें। यह सुनिश्चित किया जाए कि परीक्षा कार्य में लगे पदाधिकारियों के बैंक खाता विवरण सही-सही दर्ज किए गए हों। प्रधानाचार्यों को आईपीएस पोर्टल पर डेटा को अंतिम रूप देने से पहले उसका व्यक्तिगत रूप से पुनरावलोकन करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी परीक्षक/पदाधिकारी का कोई भी डेटा बिना भरा न रह जाए।

परीक्षा कार्य में लगे पदाधिकारियों के बैंक खाता विवरण प्रदान करने में किसी भी प्रकार की त्रुटि के परिणामस्वरूप भुगतान गलत व्यक्ति को किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित स्कूल के प्रधानाचार्यों की होगी, और त्रुटिवश भुगतान की गई राशि की वसूली उन्हीं से की जाएगी।

भवदीय
हस्ता/-
(डॉ. संयम भारद्वाज)
परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि:
1. वेब-एडमिन को सीबीएसई वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।